अनुदान संख्या 94 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 94–ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*1,00*	*2*	*–98*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1127,02,00		1226,02,00	1208,69,38	–17,32,62
पूरक	Supplementary	99,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	816,90,00		817,90,00	813,92,50	–3,97,50
पूरक	Supplementary	1,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1732.62 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 9900.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1732.62 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grant of Rs.9900.00 lakhs obtained in March, 2008 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क-गृह मंत्रालय	**A - Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष ''2055''	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	5024.00			
पू.	S.	120.00	5101.33	5090.11	–11.22
पु.	R.	–42.67			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	447.00	311.15	293.34	–17.81
पु.	R.	–135.85			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	1900.00	5096.66	4904.67	–191.99
पू.	S.	2863.00			
पु.	R.	333.66			
ख-कृषि मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	**B-Ministry of Agriculture** Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	1585.00	1202.00	1157.31	–44.69
पु.	R.	–383.00			
मुख्य शीर्ष "2402" मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation				
मू.	O.	854.00	377.58	349.96	–27.62
पु.	R.	–476.42			
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry				
मू.	O.	1530.00	1033.16	1014.66	–18.50
पु.	R.	–496.84			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries					
मू.	O.	882.00		511.70	497.27	–14.43
पु.	R.	–370.30				
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power					
मू.	O.	16024.00				
पू.	S.	3100.00		18673.00	18608.41	–64.59
पु.	R.	–451.00				
छ-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**G - Ministry of Food Processing Industries**					
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	2900.00		2627.00	2624.34	–2.66
पु.	R.	–273.00				
झ-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**I - Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health					
मू.	O.	5455.00		6380.89	6106.02	–274.87
पु.	R.	925.89				
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**K - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	5918.00				
पू.	S.	120.00		6038.27	5824.88	–213.39
पु.	R.	0.27				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ण-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**O - Ministry of Information and Broadcasting**					
मुख्य शीर्ष "2220"	Major Head "2220"					
सूचना एवं प्रचार	Information and Publicity					
मू.	O.	316.00		176.35	154.66	–21.69
पु.	R.	–139.65				
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"					
सड़क परिवहन	Road Transport					
मू.	O.	1347.00		1922.00	1907.63	–14.37
पु.	R.	575.00				
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**					
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"					
जहाजरानी	Shipping					
मू.	O.	16165.00				
पू.	S.	2000.00		19972.00	19783.87	–188.13
पु.	R.	1807.00				
प- नागर विमानन मंत्रालय	**U - Ministry of Civil Aviation**					
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"					
नागर विमानन	Civil Aviation					
मू.	O.	2599.00				
पू.	S.	417.00		1812.00	1811.36	–0.64
पु.	R.	–1204.00				
भ-शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"					
शहरी विकास	Urban Development					
मू.	O.	1631.00		1154.44	1153.68	–0.76
पु.	R.	–476.56				

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
य - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**Z - Ministry of Social Justice and Empowerment**				
मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	368.00	411.54	408.34	–3.20
पु.	R.	43.54			

(I) सत्ताईस शीर्षों के अंतर्गत 522.18 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.522.18 lakhs remained wholly unutilised under twenty seven heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''बाढ़, चक्रवात इत्यादि - आनुग्रहिक राहत - नकद दान'' के अंतर्गत 25.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 55.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 80.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 56.22 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रभावित व्यक्तियों की कम संख्या होने की वजह से कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2245" - "Flood, Cyclones etc. - Gratuitous Relief - Cash Doles" - the original provision of Rs.25.00 lakhs was augmented to Rs.80.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.56.22 lakhs (including supplementary grant) - due to less utilisation owing to less number of affected persons.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष पुलिस - भारत रिजर्व बटालियन'' - 1017.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 71.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1088.60 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो भारतीय रिवर्ज बटालियन के लिए आयुध संबंधी खरीद के मूर्तरूप लेने में विलंब होने के कारण 9.43 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2055" – "Special Police – India Reserve Battalion" – the original provision of Rs.1017.60 lakhs was augmented to Rs.1088.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.71.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.43 lakhs – due to delay in materialisation of purchases of arms for India Reserve Battalion.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य विद्युत गृह - विद्युत संयंत्रा और अनुषंगी निर्माण कार्य'' - 3808.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4608.55 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो पूर्ति एवं निपटान महादेशालय के एचएसडी तेल संबंधी दावे का निपटान न किए जाने के कारण 83.25 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation – Other Power Houses – Power Plant and Ancillary Works" – the original provision of Rs.3808.55 lakhs was augmented to Rs.4608.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.83.25 lakhs – due to non-settlement of Director General of Supplies and Disposals claim of HSD Oil.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान'' - 170.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 220.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो विद्यालयों से समय पर दावे प्राप्त न होने के कारण 33.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2202" - "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants-in-aid to Private Schools" - the original provision of Rs.170.00 lakhs was augmented to Rs.220.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.92 lakhs - due to non-receipt of claims from schools in time.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदान'' के अंतर्गत 110.00 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes – Tribal Area Sub-Plan - Grants to Andaman Adim Janjaati Vikas Samiti" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(V) मुख्य शीर्ष ''2401'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 417.41 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कचाल एवं केंपबेल खाड़ी के क्षेत्रा के पहुंच से बाहर होने की वजह से फसल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित न किए जाने और मलबा निकासी किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2401" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.417.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-covering under cropping programme and debris clearance owing to inaccessibility of area in Katchal and Campbell Bay.

(VI) मुख्य शीर्ष ''2402'' - ''मृदा संरक्षण - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता''के अंतर्गत 447.92 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल निकासी स्कीमों को विलंब से स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2402" - "Soil Conservation - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.447.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to late sanction for drainage schemes.

(VII) मुख्य शीर्ष ''2403'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 436.45 लाख रु. की बचत (455.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पशुधन के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी न किए जाने और निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "2403" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.436.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.455.00 lakhs) was due to non-payment of compensation for live-stock and non-finalisation of tender.

(VIII) मुख्य शीर्ष ''2405'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 312.49 लाख रु. की बचत (396.13 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अधिष्ठापन के संबंधित स्थानों पर परिवहन की

(VIII) Under Major Head "2405" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.312.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.396.13 lakhs) was due to non-installation of fish aggregating devices owing to transportation

समस्या की वजह से मत्स्य संचयन उपकरणों का अधिष्ठापन न किए जाने के कारण हुई।

problems to respective places of installation in A&N Islands.

(IX) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य व्यय - विद्युत का क्रय'' के अंतर्गत 512.51 लाख रु. की बचत (9500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चौथे डीजी सेट की पुन: मरम्मत किए जाने की वजह से उत्पादन में गिरावट आने और बिल में कमी आने के कारण हुई।

(IX) Under Major Head “2801” - “Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure - Purchase of Power” - saving of Rs.512.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9500.00 lakhs) was due to drop in generation and reduced billing owing to non-revamping of 4th DG set.

(X) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति - गेहूं की खरीद'' के अंतर्गत 294.59 लाख रु. की बचत (558.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार द्वारा गेहूं के वार्षिक नियतन में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(X) Under Major Head “2408” - “Food – Procurement and Supply - Purchase of Wheat” - saving of Rs.294.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.558.00 lakhs) was due to curtailment in annual allocation of wheat by Government of India.

(XI) मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''फिल्में - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक व्यय'' के अंतर्गत 155.50 लाख रु. की बचत (305.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों के प्राप्त न होने और जन प्रचार माध्यमों पर होने वाले व्यय में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(XI) Under Major Head “2220” - “Films - Direction and Administration - Administrative Expenditure” - saving of Rs.155.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.305.70 lakhs) was due to non-receipt of bills and curtailment in expenditure towards media campaign.

(XII) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 218.12 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी में क्षतिग्रस्त हुए जहाजों की मरम्मत के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(XII) Under Major Head “3052” - “Coastal Shipping - Shipping Services - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes” - saving of Rs.218.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender for repairs of ships damaged in Tsunami.

(XIII) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - हवाई यानों का प्रचालन और रखरखाव'' के अंतर्गत 1204.64 लाख रु. की बचत (1216.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार के अनुमोदन के अभाव में हवाई यानों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(XIII) Under Major Head “3053” - “Air Services - Other Expenditure - Operation and Maintenance of Air Craft” - saving of Rs.1204.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1216.00 lakhs) was due to non-procurement of aircrafts for want of Government of India’s approval.

(XIV) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - नगरपालिकाएं/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद'' के अंतर्गत 469.36 लाख रु. की बचत (1595.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(XIV) Under Major Head “2217” - “General - Municipalities/Municipal Council - Port Blair Municipal Council” - saving of Rs.469.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1595.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(XV) चार शीर्षों के अंतर्गत 277.16 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक अधिक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1574.61 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''सरकारी परिवहन सेवाएं - प्रचालन'' - 574.61 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 571.86 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं -भारतीय जहाजरानी निगम को अदायगी'' - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 999.99 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - प्राकृतिक आपदाएं'' - 327.20 लाख रु. का अधिक व्यय (274.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिविरों में सुनामी प्रभावित लोगों को फसल/बागान हानि के लिए अनुग्रह एवं क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी किए जाने, राशन की नि:शुल्क आपूर्ति किए जाने और संभार-तंत्रा संबंधी अन्य सहायता प्रदान किए जाने और किसानों को सहायता प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल'' - 332.82 लाख रु. का अधिक व्यय (2040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी'' -

(i) ''प्राथमिक स्वास्थ्य केंद - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम'' - 164.66 लाख रु. का अधिक व्यय

(XV) Under four heads savings of Rs.277.16 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (Rs.1574.61 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "3055" - "Government Transport Services - Operation" - Rs.574.61 lakhs. Actual excess, however, was Rs.571.86 lakhs.

(B) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Payment to S.C.I." - Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.999.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2245" - "General - Other Expenditure - Natural Calamities" - excess of Rs.327.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.274.00 lakhs) was due to payment of ex-gratia and compensation for crop/plantation loss, free supply of ration and other logistic support to Tsunami affected people in camps and providing assistance to farmers.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy - Hospital and Dispensaries - G.B.Pant Hospital" - excess of Rs.332.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2040.00 lakhs);

(b) "Rural Health Services - Allopathy" -

(i) "Primary Health Centres - Primary Health Scheme" - excess of Rs.164.66 lakhs

(1398.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''अस्पताल और औषधालय - अन्य अस्पताल'' - 178.83 लाख रु. का अधिक व्यय (1049.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय भंडार, दवाइयों और चिकित्सा उपस्करों का अधिक क्रय किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं'' -

(क) ''मुख्यभूमि द्वीप जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार'' - 495.36 लाख रु. का अधिक व्यय (2850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार एमवी स्वराज द्वीप के प्रचालनात्मक प्रभार और एमवी नानकावरी एवं एमवी स्वराज द्वीप के कर्मचारियों की बकाया संबंधी अदायगी की अतिरिक्त मांग को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''अंतरद्वीपीय जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार'' - 395.92 लाख रु. का अधिक व्यय (3545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतरद्वीपीय जलयानों के लिए आईओसी को अग्रिम अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण - कल्याण स्कीमें'' - 174.00 लाख रु. का अधिक व्यय (111.79 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(III) आठ शीर्षों के अंतर्गत 595.72 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 334 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (397.50 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

(against the sanctioned provision of Rs.1398.95 lakhs); and

(ii) "Hospitals and Dispensaries - Other Hospitals" - excess of Rs.178.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1049.70 lakhs).

Excess under the above three heads was due to purchase of more stores, medicines and medical equipments.

(C) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services" –

(a) "Operational Charges of Mainland-Islands Vessels" - excess of Rs.495.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2850.00 lakhs) was due to operational charges of MV Swaraj Dweep as proposed by SCI and additional demand to meet arrear payment to crews of MV Nancowry and MV Swaraj Dweep.

(b) "Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - excess of Rs.395.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3545.00 lakhs) was due to advance payment to IOC for inter-island vessels.

(D) Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Aged, Infirm and Destitute - Welfare Schemes" - excess of Rs.174.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.111.79 lakhs) was due to increase in number of beneficiaries.

(III) Under eight heads excess of Rs.595.72 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 334 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.397.50 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.100.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
ख-कृषि मंत्रालय	**B-Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	633.00	193.00	127.33	–65.67
पु.	R.	–440.00			
मुख्य शीर्ष "4402" मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4402" Capital Outlay on Soil and Water Conservation				
मू.	O.	564.00	42.00	25.99	–16.01
पु.	R.	–522.00			
मुख्य शीर्ष "4405" मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	2347.00	112.00	111.94	–0.06
पु.	R.	–2235.00			
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C-Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	1872.00	2825.00	2790.94	–34.06
पु.	R.	953.00			
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	5729.00	6029.00	5920.60	–108.40
पु.	R.	300.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**F - Ministry of Environment and Forests**					
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life					
मू.	O.		2484.00			
पू.	S.		66.00	2566.00	2602.55	+36.55
पु.	R.		16.00			
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**K - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture					
मू.	O.		540.00	315.00	314.57	–0.43
पु.	R.		–225.00			
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.		5859.00	9649.00	9666.54	+17.54
पु.	R.		3790.00			
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**					
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses					
मू.	O.		4527.00	475.36	443.85	–31.51
पु.	R.		–4051.64			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5012.00	4612.00	4610.06	–1.94
पु.	R.	–400.00			
प-नागर विमानन मंत्रालय	**U - Ministry of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	2874.00	416.00	411.98	–4.02
पु.	R.	–2458.00			
न-पर्यटन मंत्रालय	**V - Ministry of Tourism**				
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	1735.00	97.00	93.77	–3.23
पु.	R.	–1638.00			
भ-शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police		2139.00	2117.91	–21.09
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1316.00	1843.00	1854.10	+11.10
पू.	S.	34.00			
पु.	R.	493.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Edcuation, Sports, Art and Culture					
मू.	O.	1294.00		1509.00	1489.27	–19.73
पु.	R.	215.00				
मुख्य शीर्ष ''4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.	972.00		1292.00	1290.09	–1.91
पु.	R.	320.00				
मुख्य शीर्ष ''4215'' जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	850.00		2420.00	2420.00	. .
पु.	R.	1570.00				
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	35121.00		40485.00	40437.65	–47.35
पु.	R.	5364.00				
मुख्य शीर्ष ''4217'' शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development					
मू.	O.	421.00		154.00	153.92	–0.08
पु.	R.	–267.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4403" पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4403" Capital Outlay on Animal Husbandry				
मू.	O.	688.00	182.00	174.90	–7.10
पु.	R.	–506.00			
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	711.00	468.00	473.09	+5.09
पु.	R.	–243.00			
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	154.00	313.00	304.80	–8.20
पु.	R.	159.00			
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	273.00	482.00	481.89	–0.11
पु.	R.	209.00			
य-जल संसाधन मंत्रालय	**Y - Ministry of Water Resources**				
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	560.00	328.00	322.70	–5.30
पु.	R.	–232.00			

(I) 5530.00 लाख रु. का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 5282.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - मशीनरी की खरीद'' - 129.00 लाख रु. मशीनरी के खरीदे न जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 3396.00 लाख रु. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 1656.00 लाख रु. हेलीपैडों के निर्माण कार्य को निष्पादित न किए जाने और हेलीकॉप्टर की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''कला तथा संस्कृति - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 101.00 लाख रु. कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4406'' - ''वानिकी - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण - वनों का विकास'' के अंतर्गत 1455.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 66.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1521.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक द्वारा मिल मशीनों की अधिप्राप्ति के लिए दरों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और नए वाहनों की अधिप्राप्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण 22.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''4401'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 462.18 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समय पर अनुमोदन प्रदान न किए जाने और एनिडको (एएनआईआईडीसीओ)/लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.5530.00 lakhs remained wholly unutilised under eighteen heads; of these Rs.5282.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "5054" - "General - Other Expenditure - Purchase of Machinery" - Rs.129.00 lakhs - due to non-purchase of machinery.

(B) Major Head "5051" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - Rs.3396.00 lakhs - due to non-finalisation of detailed project report.

(C) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - Rs.1656.00 lakhs - due to non-execution of construction works of helipads and non-finalisation of procurement of helicopter.

(D) Major Head "4202" - "Art and Culture - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - Rs.101.00 lakhs - due to slow progress of work.

(II) Under Major Head "4406" – "Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Development of Forests" – the original provision of Rs.1455.00 lakhs was augmented to Rs.1521.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.66.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.22.41 lakhs – due to delay in finalisation of rates by Director General of Supplies and Disposals for procurement of mill machines and ban on procurement of new vehicles.

(III) Under Major Head "4401" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.462.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval in time and non-execution of work by ANIIDCO/PWD.

(IV) मुख्य शीर्ष 4402'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 475.56 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान लोक निर्माण विभाग से तकनीकी अनुमति प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''4405'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 2225.06 लाख रु. की बचत (2337.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय से साध्यता अध्ययन प्रारंभ किए जाने संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से निविदा प्रस्तुत करने और एएलएचडब्ल्यू द्वारा संविदाकारों को कार्य सौंपने में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''तकनीकी शिक्षा - बहुशिल्प - विश्व बैंक की सहायता से तृतीय तकनीकी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 235.43 लाख रु. की बचत (505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''लघु पत्तन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अन्य लघु पत्तन - पत्तन उपस्कर तथा मशीनरी'' - 580.43 लाख रु. की बचत (898.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्ष नाव एवं नौबंध नावों के निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''जन-जातीय क्षेत्रा उप-योजना - जेट्टियों का निर्माण'' - 111.80 लाख रु. की बचत (128.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नौबंध नावों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - जहाजों की खरीद'' के अंतर्गत 631.94 लाख रु. की बचत (2894.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य की धीमी

(IV) Under Major Head "4402" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.475.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of technical clearance from Andaman Public Works Department.

(V) Under Major Head "4405" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.2225.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2337.00 lakhs) was due to delay in tendering and award of work by ALHW to the contractors owing to delay in approval from the Ministry for undertaking feasibility studies.

(VI) Under Major Head "4202" - "Technical Education - Polytechnics - Strengthening of Third Technician Education with World Bank Assistance" - saving of Rs.235.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.505.00 lakhs) was due to slow progress of works.

(VII) Under Major Head "5051" - "Minor Ports" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Small Ports - Ports Equipment and Machinery" - saving of Rs.580.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.898.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender for construction of Tugs and Mooring boat.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Construction of Jetties" - saving of Rs.111.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.128.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of mooring boats.

(VIII) Under Major Head "5052" - "General - Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships" - saving of Rs.631.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2894.00 lakhs) was due to slow progress of construction work and pending decision on enhancement of price.

प्रगति होने और मूल्य वृद्धि पर निर्णय लंबित किए जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''विमानपत्तन - अन्य व्यय - हवाई यानों का प्रचालन और रख-रखाव'' के अंतर्गत 2458.00 लाख रु. की बचत (2674.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से हवाई यानों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष ''4055'' - ''विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन' के अंतर्गत 500.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(XI) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - निर्माण - पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रा में गैर- सड़क के किनारे नालियों का निर्माण'' के अंतर्गत 222.00 लाख रु. की बचत (331.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(XII) मुख्य शीर्ष ''4403'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 508.30 लाख रु. की बचत (545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने, निर्माण कार्यों के लिए सामग्री प्राप्त न होने और निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(XIII) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 238.24 लाख रु. की बचत (420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासन से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(XIV) मुख्य शीर्ष ''4702'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 187.29 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला परिषद द्वारा चेकडैम (रोकबांध) के लिए निधि का उपयोग न किए जाने

(IX) Under Major Head "5053" - "Air ports - Other Expenditure - Operation and Maintenance of Air Crafts" - saving of Rs.2458.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2674.00 lakhs) was due to non-procurement of aircrafts owing to non-approval.

(X) Under Major Head "4055" - "Special Police - India Reserve Battallion" - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(XI) Under Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Construction - Construction of Non-Road side drain in Port Blair area " - saving of Rs.222.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.331.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of work.

(XII) Under Major Head "4403" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.508.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.545.00 lakhs) was due to slow progress of work, non-receipt of material for works and delay in finalisation of tenders.

(XIII) Under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Buildings" - saving of Rs.238.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.420.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval from the Administration.

(XIV) Under Major Head "4702" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.187.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-utilisation of fund pertaining to checkdam by Zilla Parishad.

(XV) Under seven heads savings of Rs.473.41 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting

के कारण हुई।

(XV) सात शीर्षों के अंतर्गत 473.41 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (9984.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 3000.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4215'' - ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों को जल की पूर्ति'' - 1570.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 5414.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5375.59 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4215'' - ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति'' -

(क) ''ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति'' - 448.04 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ख) ''सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 470.90 लाख रु. का अधिक व्यय (772.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वार्षिक निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

37 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.9984.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re- appropriation as already reported to the Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "5054" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - Rs.3000.00 lakhs.

(B) Major Head "4215" - "Water Supply - Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - Rs.1570.00 lakhs.

(C) Major Head "4216" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - Rs.5414.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5375.59 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4215" - "Water Supply - Rural Water Supply" -

(a) "Water Supply in Rural Areas" - excess of Rs.448.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

(b) "Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.470.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.772.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to accelerated progress of annual works.

(B) Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.310.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4238.00 lakhs) was due to construction of

(खा) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 310.97 लाख रु. का अधिक व्यय (4238.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत आर/बे, एच/बे, सी/निकोबार और काचल में विद्युत गृह भवनों का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''4406'' - ''वानिकी - संचार और भवन - भवन'' - 115.03 लाख रु. का अधिक व्यय (252.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा मांउट हैरिट में पुलिया और वन प्रशिक्षण विद्यालय, बिम्बरलेगंज के नए भवन परिसर के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''5054'' -

(क) ''राजकीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - अंडमान मुख्य सड़क'' - 217.54 लाख रु. का अधिक व्यय (1115.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''जिला तथा अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''जिला सड़कें'' - 450.00 लाख रु. का अधिक व्यय (770.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''ग्रामीण सड़कें'' - 269.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वार्षिक निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - जलयानों की खरीद'' - 230.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2118.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मैसर्स जीआरएसई द्वारा 2 x 65 पैक्स वाहन नौघाटों के निर्माण की प्रगति की वजह से अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Power House buildings under Tsunami Rehabilitation Programmes at R/Bay, H/Bay, C/ Nicobar and Katchal.

(C) Major Head "4406" - "Forestry - Communication and Building - Buildings" - excess of Rs.115.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.252.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of culvert at Mount Harriet and new building complex of Forest Training School, Wimberlygunj by the Andaman Public Works Department.

(D) Major Head "5054" -

(a) "State Highways - Road Works - Andaman Trunk Road" - excess of Rs.217.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1115.00 lakhs);

(b) "District and Other Roads - Road Works" -

(i) "District Roads" - excess of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.770.00 lakhs); and

(ii) "Rural Roads" - excess of Rs.269.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1150.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to accelerated progress of annual works.

(E) Major Head "5052" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships" - excess of Rs.230.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2118.00 lakhs) was due to additional requirement on account of progress of 2x65 pax vehicle ferries constructed by M/s GRSE.

(F) Major Head "4055" - "State Police - Other Civil Works" - excess of Rs.477.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.369.00 lakhs);

(चा) मुख्य शीर्ष "4055" - "राज्य पुलिस - अन्य सिविल निर्माण कार्य" - 477.91 लाख रु. का अधिक व्यय (369.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(छा) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण" -

(क) "अन्य विभाग" - 106.11 लाख रु. का अधिक व्यय (4.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 349.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "सामान्य प्रशासन" - 318.99 लाख रु. का अधिक व्यय (30.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 760.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(जा) मुख्य शीर्ष "4202" -

(क) "सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - भवन" - 120.00 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "कला तथा संस्कृति - अन्य व्यय - भवन" - 112.42 लाख रु. का अधिक व्यय (26.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(झा) मुख्य शीर्ष "4210" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" - 241.09 लाख रु. का अधिक व्यय (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वार्षिक निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(ञ) मुख्य शीर्ष "5055" - "भूमि एवं भवन - भवन" - 243.84 लाख रु. का अधिक व्यय (51.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार विकासात्मक निर्माण कार्यों में त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(G) Major Head "4059" - "General - Construction" -

(a) "Other Departments" - excess of Rs.106.11 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.349.00 lakhs including supplementary grant of Rs.4.00 lakhs);

(b) "General Administration" - excess of Rs.318.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.760.00 lakhs including supplementary grant of Rs.30.00 lakhs);

(H) Major Head "4202" –

(a) "General Education - University and Higher Education - Buildings" - excess of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs);

(b) "Art and Culture - Other Expenditure - Buildings" - excess of Rs.112.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26.00 lakhs); and

(I) Major Head "4210" - "General - Other Expenditure - Buildings" - excess of Rs.241.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to accelerated progress of annual works.

(J) Major Head "5055" - "Land and Buildings - Buildings" - excess of Rs.243.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.51.00 lakhs) was due to accelerated progress in developmental works as demanded by APWD.

(K) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Buildings" - excess of Rs.208.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.273.00 lakhs) was due to undertaking of more works.

(टा) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - भवन'' - 208.89 लाख रु. का अधिक व्यय (273.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण हुआ।

(II) छह शीर्षों के अंतर्गत 480.09 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 233 प्रतिशत तक था।

(II) Under six heads excess of Rs.480.09 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 233 percent of the sanctioned provision.